॥ ओ३म्॥

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

साप्ताहिक

आर्य सन्देश

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का मुखपत्र

अनमोल वचन

तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसृजत।

(अथर्व० 11.3.53)

सभी लोकों के ज्ञान के लिए यज्ञ की उत्पत्ति हुई।

वर्ष 33, अंक 29 एक प्रति : 3 रुपये

सोमवार 28 जून, 2010 से 04 जुलाई, 2010 तक

विक्रमी सम्वत् 2067 दयानन्दाब्द : 187

सृष्टि सम्वत् 1960853111 वार्षिक : 150 रुपये

फैक्स : 23343737 ई–मेल : aryasabha@yahoo.com

Website : www.delhisabha.com पृष्ठ सं. 1 से 8 तक

सार्वदेशिक आर्य वीरांगना दल का राष्ट्रीय शिविर अजमेर में संपन्न

आर्यसमाज के संगठन में वीरांगना दल का स्थान महत्वपूर्ण– आनन्द कुमार आर्य

वीरांगनाएं चरित्रवान बन जीवन को समुन्नत करें– विनय आर्य

अजमेर में 6 जून से 13 जून 2010 तक सार्वदेशिक आर्य वीरांगना दल द्वारा राष्ट्रीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में देश भर की सैकड़ों आर्य वीरांगनाओं ने भाग लिया। शिविर में वीरांगनाओं को व्यायाम, आसन, लाठी, भाला, छुरी, तलवार, स्तूप निर्माण आदि की कला सिखाई गई। शिविर में डॉ० उत्तमा यति जी ने बालिकाओं का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। उन्होंने कन्याओं से पूर्ण रूप से शाकाहारी बनने की शपथ दिलाई। शिविर में अनेक आर्य विद्वानों एवं वैदिक विदुषियों ने वीरांगनाओं को ओजस्वी उद्बोधन दिया। आर्य वीरांगनाओं को उद्बोधित करते हुए दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य ने कहा कि इस पृथिवी पर वही शासन कर सकता है जो वीर होता है– वीर भोग्या वसुंधरा। वीरांगनाएं इस शिविर में अनेक अच्छी–अच्छी बातों को सीख कर अपने जीवन को समुन्नत करें। वे

लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास आवश्यक– साध्वी उत्तमा यति

शेष पृष्ठ 5 पर

शिविर में उपस्थित मंचस्थ श्रीमती सुनीता आर्या (धर्मपत्नी कैप्टन श्री देवरत्न आर्य), मेयर श्री धर्मेंद्र गहलोत, राज० के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री देवनानी, सार्वदेशिक सभा के कार्य. प्रधान श्री आनन्द कुमार आर्य, दिल्ली से पधारे उद्योगपति श्री बलदेव राज सेठ, श्री रासा सिंह रावत, निगम पार्षद श्री शेखावत, पूर्व विधायक डॉ० गोपाल बाहेती एवं नियुद्धम् का प्रदर्शन करतीं आर्य वीरांगनाएं।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हॉलैण्ड, 23 से 26 सितंबर 2010

पूर्व निश्चयानुसार सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा एवं आर्य सभा हॉलैण्ड के तत्वावधान में इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 23 से 26 सितंबर 2010 तक हॉलैण्ड की राजधानी एम्सटरडम में सम्पन्न होने जा रहा है। इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए अनेक देशों के प्रतिनिधि हॉलैण्ड पहुंच रहे हैं। भारतवर्ष से भी इस सम्मेलन में भाग लेने हेतु अनेक महानुभाव पहुंचेंगे।

इच्छुक आर्यजन जो इस सम्मेलन में भाग लेने हेतु जाना चाहते हैं, वे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से भाग ले सकेंगे। सार्वदेशिक सभा के द्वारा स्वीकृत सदस्यों को ही हॉलैण्ड सभा अपने यहाँ प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर, उनकी व्यवस्था करेगी।

अनेक आर्यजन हॉलैण्ड सम्मेलन के अवसर पर यूरोप देशों का भ्रमण भी करना चाहते हैं। इस कारण उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हॉलैण्ड के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा का भी कार्यक्रम

शेष पृष्ठ 5 पर

अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ, थान्दला (म.प्र.) में सामूहिक विवाह संपन्न

नव दम्पति प्रदेश को हरा–भरा बनाएं–शिवराज सिंह चौहान का संदेश

वैदिक संस्कारों से संतानें संस्कारित होती हैं–जीववर्धन शास्त्री

सार्वदेशिक सभा की सेवा इकाई अखिल भारतीय दयानन्द सेवा संघ (दिल्ली) के द्वारा भारत के आदिवासी, जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार संबंधित कार्य किये जाते हैं। मध्य प्रदेश में झाबुआ, रतलाम, धार, होशंगाबाद जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वर्षों से सेवाश्रम संघ उक्त कार्यों को बहुत बढ़िया ढंग से संपादित कर रहा है। सेवाश्रम संघ समाज के जन कल्याणकारी कार्यों से भी जुड़ा है। इसी के तहत अखिल भारतीय दयानन्द सेवा संघ (दिल्ली) की शाखा थान्दला (म०प्र०) के अगुआई में 18 जून 2010 को मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के अन्तर्गत 262 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संस्कार सेवाश्रम से जुड़े पंडित जीववर्धन जी शास्त्री ने कराया। उन्होंने वर–वधुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वैदिक विवाहों से संस्कारित संतान का जन्म होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बधाई संदेश में कहा कि प्रत्येक नव दम्पति प्रदेश को हरा–भरा बनाएं।

विवाह संस्कार संपन्न कराते मंचासीन आचार्य जीववर्धन जी एवं साथ में हैं अन्य प्रतिष्ठित आर्य महानुभाव एवं सामूहिक विवाह का एक दृश्य।

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा नव वर–वधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभ कामनाएं देती है। इस समारोह में सर्वश्री खेमचन्द्र आर्य, भाव सिंह भगत, रमेश आर्य, संजय सिंह, गौतम आर्य, दयाल सिंह आर्य आदि ने संस्कार संपन्न कराने में सहयोग किया।

– डॉ० रमाशंकर शिरोमणि

परसौली, कानपुर देहात–209304

आर्यसमाज के पदाधिकारियों की अति आवश्यक बैठक

आर्यसमाजों में हो रहे अंतर्जातीय विवाहों एवं सगोत्र विवाहों को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं हो रही हैं। इस संबंध में **दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा** द्वारा **आर्यसमाज मंदिर 15–हनुमान रोड, नई दिल्ली–1, में 11 जुलाई 2010 को सायं 4 बजे** दिल्ली की समस्त आर्यसमाजों के पदाधिकारियों की एक अत्यावश्यक बैठक बुलाई गई है। इस संदर्भ में पदाधिकारियों से निवेदन है कि वे इस बैठक में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेवें।

–विनय आर्य, महामंत्री मो० 9717174441

अन्दर के पृष्ठों में : बोध कथा – 2, मैंने ब्राह्मण... – 3, संन्यास की अवधारणा शेष... 4, हॉलैण्ड यात्रा... 5, समाचार–सूचनाएं – 6, 7 एवं 8

ऐतिहासिक बलिदान

अमर शहीद धर्मप्रकाश

श्री सायवण्णा जी के सुपुत्र नागप्पा जी का जन्म कल्याणी ग्राम में शक संवत् 1861 में हुआ था। आपके जीवन से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आप महर्षि के एक–एक शब्द को अपने जीवन में उतारते थे, अन्यायकारी के बल की हानि व न्यायकारी के बल की उन्नति करने के लिए दिए गए सत्यार्थप्रकाश के आदेश का सर्वदा पालन करते थे। इस हेतु संकटों की परवाह नहीं करते थे।

कल्याणी कभी चालुक्य नामक राजवंश की राजधानी थी, यह मुसलमान बहुल क्षेत्र था।इसी कारण यहाँ हिन्दुओं को अनेक प्रकार के कष्ट दिये जाते थे तथा उन्हें अपमानित किया जाता था। इसी क्षेत्र का एक तेजस्वी नवयुवक नागप्पा, जो आर्यसमाज में धर्मप्रकाश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, को हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखकर बहुत कष्ट होता था। वे वीर व साहसी थे। उन्होंने अत्याचारी मुसलमानों के विरोध में मोर्चा खोल दिया, वे आर्यवीरों को एकजुट करने लगे। वह उन्हें संगठित कर लाठी, तलवार आदि शस्त्र भी सिखाने लगा।

मुसलमानों को यह सब रास नहीं आ रहा था। वे लोग आर्यो (हिन्दुओं) को अपने मुख का ग्रास समझते थे। अतः उनका धर्मप्रकाश की गतिविधियों से कुपित होना स्वाभाविक ही था। जब तक आर्य (हिन्दू) निर्बल रहेगा, तभी तक वह हमसे दबकर रहेगा। आर्य (हिन्दू) सबल हो, यह वे कैसे सहन कर सकते थे? फलतः मुसलमानों ने उन पर अनेक बार जान लेवा हमले किये। किन्तु हर बार उन्हें आर्यवीर धर्मप्रकाश की वीरता के सामने मात खानी पड़ी। इससे दुःखी खाकसार दल को बहुत चिन्ता सताने लगी कि किस प्रकार धर्मप्रकाश को समाप्त किया जावे। परिणाम स्वरूप 27. जून 1938 ई० को रात्रि के आठ बजे उन्हें धर्मप्रकाश पर हमला करने का ऐसा मौका मिल गया।

उस समय धर्मप्रकाश जी आर्यसमाज के सत्संग से लौट रहे थे। कुछ दुष्ट मुसलमानों ने अकेले पाकर उन्हें घेर लिया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उस समय वह एक संकरी गली से निकल रहे थे। मुसलमानों के पास बर्छी, भाले आदि थे, जबकि धर्मप्रकाश जी निहत्थे थे। मुसलमानों ने बड़ी बर्बरता से उन पर हथियारों से वार किए। धर्मप्रकाश जी ने उनका भरपूर मुकाबला किया। वह अकेले कब तक उनका मुकाबला करते। अंत में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इस तरह धर्मप्रकाश ने अपना बलिदान कर दिया और इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में सदा के लिए अमर हो गए। पुलिस ने उनके हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया; किन्तु उनका क्या बिगड़ने वाला था? सरकार उनकी अपनी थी। कहते हैं कि यह सब उसी के इशारे पर हुआ था। अतः सरकार द्वारा न्याय का ढोंग रचा गया और अंत में सभी हमलावरों को कुछ ही समय बाद बरी कर दिया गया।

धर्मप्रकाश जी ने अपना बलिदान देकर आर्य वीरों में एक नया जोश पैदा कर दिया, जाते–जाते भी वह आर्य युवकों को सन्देश दे गए कि आततायी चाहे कितना भी दबंग क्यों न हो; किन्तु हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन की आहुति देने में भी मजा है। इसे भी चख कर देखना चाहिए।

जिन दुष्टों ने आर्यसमाज के अनेक वीरों को अपनी छुरी, गोली, कटार आदि से शहीद किया उन दुष्टों को उनके मत वाले उन्हें आदर दे रहे हैं, उनकी जीवनियां भी छप गई हैं, किन्तु बलिदानी आर्य सपूतों का नाम लेने वालों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है। यह हमारे लिए शोभनीय नहीं है। बलिदानों को भुलाना जाति के विनाश का कारण होता है। अतः आज आवश्यकता है कि हम आर्य अपने बलिदानियों के जीवन से शिक्षा लेकर उस अमर पथ के पथिक बनें।

–डॉ० अशोक आर्य
आर्य कुटीर, 116 मित्र विहार
मण्डी डबवाली (हरि०) 124174

Cont. from last issue **The Sixteen Rituals of Aaryas**

Vivaah Sanskaar

(The wedding ritual)

Both should be of a similar character, matching brains, similar conduct, similar type of appearance etc, non -violent, truthful and soft-spoken, grateful , kind, willing for the nation's welfare and for receiving education, fearless in the spread of truth, enthusiastic, willing to renounce vices like egoism, envy, jealousy, passion, anger, cunningness gambling, stealing, liquor, non-vegetarianism etc. and should be clever at housekeeping. The woman's body should be slimmer than that of the groom and she should reach up in height to the man's shoulder. The examination of internal virtues should be accomplished by mutual conversation, behavior etc. The girl who does not belong to the last five generations of the boy's maternal family and is not of the boy's paternal sub-caste is suitable for marriage.

The best age of marriage is 16-24 years for a girl and 25-48 years for a boy. Further, the marriage between a 16 year old girl and 25 year old boy is considered last appropriate, between a 18-20 year old woman and 30-35 year old man is intermediate while that a 24 year old woman and 48 year old man is most superior. A country where this excellent manner of wedding, continence and educational practices are followed always remains happy while a nation where wedding are arranged between people who are uneducated, unsuitable, not of the right age or devoid of continence, remains immersed in troubles. The former types of marriages are the foundation for all round development while the latter lead to degradation.

- Gyaaneshwaraarya, Darshanacacharya

To be continued...

देववाणी : संस्कृत

स्वामिदयानन्दस्य राजनैतिकं चिन्तनम्

गतांक से आगे :–

अर्थात् "यथा सिंहः मांसाहारिणं हृष्टपुष्टं पशुं हत्वा समश्नाति तथैव स्वेच्छाचारी सम्राट् प्रजायाः विनाशं करोति परोत्कर्षात् जुगुप्सते।" एवम् ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायामपि प्रमाणबहुलैः महर्षिणा राज्ञः स्वेच्छाचारित्व–खण्डनम् अकारि तद्यथा– "यथा उपश्येनं लघुकायविहंगमानां दुर्दशा सञ्जायते, यथा मृगाः पशवः परक्षेत्रयवानां पूर्णाः विकुर्वते तथैव स्वतन्त्रैको राजा प्रजानाम् उत्तमद्रव्या– व्याच्छिनत्ति।"

एतस्मिन् विषये महर्षेः शब्देषु– इसका अभिप्राय है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये। किन्तु राजा जो सभापति तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहे।"

वंशानुगतराजत्वखण्डनम् :– प्राचीन भारतीयदर्शने रामायणमहाभारतादिषु स्पष्टं परिदृष्यते वंशानुगतं राजतन्त्रम्। परं महर्षेः सिद्धान्तः एतस्मात् सर्वथा भिन्नः। महर्षिमतेन राजा समग्रराजोचित गुणान्वितः सर्वकार्यक्षमः, इन्द्रवत् ऐश्वर्यकर्त्ता, वायुवत् सर्वेषां प्रियः परहृदयसंवित् पक्षपातरहितः, सूर्यवत् न्यायविद्याधर्मप्रकाशकः, अविद्यान्धकारस्य अन्यायस्य च निरोधकः, अग्निवद्दुष्टानां परिदाहकः, वरुणवत् सकलदुष्टानां बन्धकः, चन्द्रवत् श्रेष्ठपुरुषेभ्यः आनन्दप्रदाता, धनाध्यक्षवत् कोशपूरको भवेत्। स एव सभापतियोग्यः। देवदयानन्दः अनेकत्र वंशानुगतसिद्धान्तस्य प्राबल्येन विरोधं कुर्वन् आह– "दस कामज एवं आठ क्रोधज दुर्व्यसनों वाले मनुष्य को चाहे वह राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही क्यों न हो राजा नहीं बनाना चाहिये।"

एवमेव इक्ष्वाकं ब्रह्मणष्षष्ठम् अप्त्यं निर्दिशन् उवाच –"पीढ़ी शब्द का अर्थ बाप से बेटा यही न समझें, एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी ऐसा जानें" एवं स्वामिदयानन्दस्य राजदर्शने राजत्वप्राप्तिः नैव वंशानुगता अपितु योग्यताधीना राजोचितगुणाधीना च वर्त्तते।

राज्ञः प्रजया सह व्यवहारः :– राजा स उच्यते "यो राजते प्राप्तो भवतीति स राजा भूपतिश्चन्द्रमा वा।" राज्ञः तात्पर्य यः प्रजायाः रञ्जनं कुर्यात्। महर्षिदयानन्दस्य राजदर्शने शासकवर्गस्य सम्प्रभुतायाः विरोधः दृश्यते। तेषां मतेन शासकवर्गः प्रजायाः सेवकः वर्त्तते। एष एव भावः ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां स्पष्टं दृश्यते–

**"इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातै।
चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्योऽभवेह।।"** (अथर्व० का० 6/ अनु० 10/व098।मं01।)

– आचार्या सविता देवी, गुरुकुल पाणिनि प्रभात, हैदराबाद (आं०प्र०) क्रमशः

ईश्वरीय न्याय

– पं०बिहारी लाल शास्त्री

एक दिन मार्ग में एक महात्मा अपने शिष्य समेत जा रहे थे। गुरु को तो इधर–उधर की बात पसन्द न थी। थोड़ा बोलना, साधारण नैतिक आवश्यकीय कार्य करके योगाभ्यास करना उनकी दिनचर्या थी। परन्तु चेला चपल, था। उसे इधर–उधर की बातों में बड़ा मजा आता था, चलते–चलते मार्ग में देखते क्या है कि एक धीवर को अहिंसा परमो धर्मः का उपदेश देने लगा। धीवर कब मानने लगा। पहले टाल–मटोल की फिर बिगड़ने लगा। यदि बुरे से बुरे काम से मनुष्य आजीविका करने लगता है तो फिर छोड़ना नहीं चाहता। इधर धीवर बिगड़ा। उधर साधु ने सोटा संभाला। यह झगड़ा देख गुरुजी जो कुछ आगे बढ़ गये थे लौटे और चेले को पकड़कर ले चले। बोले– ''बेटा, साधु का काम समझाना है, दंड देना नहीं। यह क्षत्रिय का कार्य है।''

चेला कहने लगा– ''महाराज! को न तो बहुत से दंडों का पता है। और न राजा बहुतों को दण्ड देता है। फिर इसको दण्ड कौन देगा?''

इस पर महात्मा ने कहा–''इसे दण्ड देने वाली शक्ति है। उसकी पहुँच सर्वत्र है। वेद में कहा है कि ईश्वर चारों ओर देखता है और सब जगह पहुंचता है। इसलिए तुम चलो, इस झगड़े से दूर हो जाओ।''

चेला यह सुन सन्तुष्ट होकर गुरु महाराज के संग चल दिया।

इस बात को एक वर्ष बीत गया। चेला मच्छी मारनेवाली बात भी भूल गया। एक दिन गुरु महाराज उसी चेले के साथ फिर उसी तालाब की ओर होकर निकले। देखते क्या हैं कि एक चुटिहल साँप बड़े कष्ट से सरक रहा है और तमाम चींटियां उसे नोच–नोच कर खा रही हैं। चेले ने साँप की यह दशा देखी तो दया से पिघल गया और चाहता था कि सर्प को चींटियों से बचा ले कि गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। चेला बोला–''महाराज! मुझे क्यों रोकते हो? दीन सर्प की सहायता मुझे करने दीजिए।''

गुरु महाराज ने कहा–''भाई! इसे अपने कर्मो का फल भोगने दे। यदि तू इस समय इसे छुड़ायेगा तो इस बेचारे को फिर दूसरे जन्म में यही दुःख भोगना होगा; क्योंकि कर्म का फल अवश्य भोगना होता है।''

शिष्य ने कहा– ''महाराज! इसने क्या कर्म किये हैं, जो इस समय दुर्दशा के दलदल में फंसा है।'' गुरु महाराज बोले–''यह वही धीवर है, जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह लड़ने को उद्यत था और वे मछलियां ही चींटियां हैं, जो इसे नोच–नोच कर खा रही हैं।''

यह सुन चेला बड़े आश्चर्य से कहने लगा– ''गुरु महाराज! यह तो बड़ा विचित्र न्याय देखने में आया। गुरु बोले–''भाई, इसी लोक में स्वर्ग–नरक के सारे दृश्य हैं कि प्रतिक्षण ईश्वरीय न्याय के नमूने तुम देख सकते हो, तभी तो शास्त्र ने कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।''

(साभार : दृष्टान्त सागर)

मैंने ब्राह्मण का कर्तव्य पूरा कर दिया

2 जुलाई (144वें) जन्मदिवस पर विशेष

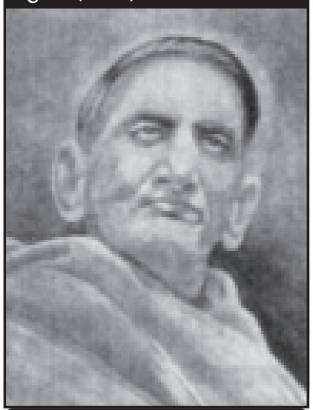

*गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के यशस्वी स्नातक एवं वेदमर्मज्ञ **आचार्य अभय देव जी** 1930 में नमक सत्याग्रह के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। सहारनपुर जेल में उन पर मुकदमा चला। उस मुकदमे में आचार्य जी ने एक लिखित बयान दिया था। यहां हम उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बयान में आचार्य जी की ओजस्विता और निर्भीकता प्रकट होती है। इसके साथ ही उन्होंने सच्चा के आचरण पर बल दिया है। यह लेख पठनीय और विचारणीय है।* **—संपादक**

सेवा में मजिस्ट्रेट साहिब
प्रिय महाशय!

वर्णत: मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। वैदिक धर्म के अनुसार ब्राह्मण बनना बड़ा कठिन कार्य है। मैं वैदिक आदर्श के अनुसार ब्राह्मण के उच्च धर्म को पालन करने का नम्रतापूर्वक सतत यत्न कर रहा हूँ। शायद इसीलिए मुझे गुरुकुल में इतने बड़े उत्तरादातृत्व के पद पर बैठाया गया है। ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि वह न अपनी स्थूल वाणी से अपितु अपने सम्पूर्ण जीवन द्वारा सत्य को बेधड़क होकर फैलाता रहे। उसका धर्म है कि वह जनता को सच्चाई का, प्रेम का और पवित्रता का सन्देश हर हाल में सुनाता रहे। अत: इस धर्मयुद्ध के छिड़ने से पहले जहाँ मैं केवल गुरुकुल के महाविद्यालय (College) के ब्रह्मचारियों को वेद, योगदर्शन और भारतीय अर्थशास्त्र (Indian Economics) पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ अब पिछले दो महीनों से मैंने यह आवश्यक समझा कि मैं रुड़की तहसील की ओर विशेषत: पंचपुरी की जनता में इस धर्मयुद्ध का सन्देश सुनाने में अपना अधिक समय लगा दूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले यह किया कि जो सब पापों को बढ़ाने वाली है और फिर भी जिसका कि ठेका खुद सरकार ने ले रखा है, उस शराब को पंचपुरी से हटाने के आंदोलन का संचालन मैंने अपने हाथ में लिया। इन दिनों में जो पाँच–छह बार मुझे ग्रामों में जाने का सुअवसर मिला, तो मेरी बातचीत व भाषणों से ग्रामीणों के अन्दर कुछ निर्भयता का संचार हुआ होगा, यह मैं समझता हूँ। यह भी मैं मानता हूँ कि मुझसे मिलने वाले और मेरा भाषण सुनने वाले भाइयों में वर्तमान सरकार के प्रति अप्रीति फैली होगी और उनमें इस वर्तमान शासन प्रणाली को बदल देने की इच्छा उत्पन्न हुई होगी। पर इसे मैं राजद्रोह नहीं समझता। ब्राह्मण राजा के भी ऊपर होता है और वह राजा को अपनी तपस्याओं द्वारा सदा ठीक रास्ते पर रखता है। सभी स्वाधीनता प्राप्त देशों में कभी न कभी ऐसा समय आया है, जबकि वहाँ का पुराना बिगड़ा हुआ शासन प्रजा द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ऐसी सब क्रान्तियों को शुरू कराने वाले सदा ब्राह्मण रहे हैं। इन क्रान्तियों की पूर्ति बेशक क्षत्रियों के भौतिक हथियारों द्वारा तथा वैश्य द्वारा सब जगह हुई है; पर भारत में हम जो क्रान्ति चाह रहे हैं, वह उससे निराली है। यह क्रान्ति शुद्ध ब्राह्मणत्व द्वारा की जा रही है। हम अन्त तक हथियारों को बिना उठाये ही सरकार को बदल देना चाहते हैं। यह दुनिया के इतिहास में एक नई घटना होगी। बात यह है कि आजकल दुनिया में क्षत्रियत्व इतना बिगड़ चुका है, इसमें वीरता का स्थान हिंसा ने इतना अधिक ले लिया है कि अब ब्राह्मणत्व के ऊँचे हथियार द्वारा ही संसार को इस बुरी अवस्था से निकाला जा सकता है। अतएव हम देखते हैं कि इस देश का सब सच्चा ब्राह्मणत्व आज ऊपर निकल आया है। हजारों ब्राह्मण (आजकल की हिन्दू प्रथानुसार उन्हें ब्राह्मण कहा जाय या न कहा जाय, पर वे वैदिक दृष्टि से ब्राह्मण ही हैं) इस अहिंसामय संग्राम में आ खड़े हुए हैं, देश की स्वाधीनता के लिए राजा के जुल्मों को खुशी से सहते हुए (तपस्या करते हुए) सच्चाई को फैला रहे हैं, किसी डर की परवाह न करके राजा और प्रजा को उनका कर्तव्य सुझा रहे हैं। मुझे एक छोटे से ब्राह्मण ने भी इस देश के एक छोटे से हिस्से में अपने भाइयों को उनका कर्तव्य बताया है अतएव मैं कहता हूँ कि मैंने राजद्रोह नहीं फैलाया है, किन्तु अपने ब्राह्मण धर्म का पालन किया है। मौजूदा राजकीय कानून में बेशक यह राजद्रोह है, पर ईश्वरीय कानून के अनुसार यह ब्राह्मण का धर्म है और कुछ समय बाद जबकि ब्राह्मणों की तपस्याएं इस राज्य की जगह नया सच्चा राज्य ले आवेंगी, तब यह राजकीय कानून भी हमारे अनुकूल बोलने लगेगा। यही कारण है कि मैंने इसमें अपना अपमान समझा है कि मुझे 124 दफा न लगाकर सरकार ने मुझ पर 108 लगायी है। इससे पता लगता है कि शायद मैंने अपने ब्राह्मण धर्म के पालन में कुछ त्रुटि रखी है।

महाशय! आपने मुझसे एक मुचलका और दो जमानतें मांगी थीं। वे मैंने नहीं दी हैं। ये 1500 रुपये मेरे पास कहाँ से आते? मैं तो दुनिया में सबसे दरिद्र देश का एक वैदिक ब्राह्मण हूँ। वैदिक ब्राह्मण का तो आदर्श यह है कि उससे पास दूसरे दिन के लिए भी खाने का सामान न हो। मेरे नाम से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जा सकती है। हां, एक चीज मैं दे सकता हूँ और देना चाहता हूँ और वही ब्राह्मण का सबसे बड़ा कीमती धन है। लीजिये मैं देता हूँ।

आप जानते हैं कि स्वाधीनता पाना प्रत्येक भारतीय का हक ही नहीं किन्तु प्राकृतिक धर्म है। इस परम पुण्य में लगे हुए महात्मा गांधी जैसे सन्त से शुरू करके सैकड़ों पवित्रात्मा पुरुषों को जो सरकार पीड़ित कर रही है, सत्याग्रहियों पर कैसे–कैसे घृणित और पाशविक अत्याचार किये गये हैं, वे आपसे छिपे नहीं हैं। क्या ऐसी सरकार के अंग बने रहने में, इस घोर पाप में सम्मिलित होने में आपको कोई हिचक नहीं होती? जरूर होती होगी। मुझे विश्वास है कि आपका अन्तरात्मा पुकार उठता होगा कि अब तो सरकारी नौकरी करने जाना हराम हो गया है। कृपा करके अपने इस दैवी भाव को आप जगाइये, इसे दबने मत दीजिये। यहाँ तक आपका अन्तरात्मा आपका दिन–रात काटता रहे, वह आपको चैन न लेने दे, जब तब कि आप सरकारी नौकरी छोड़कर हल्के न हो जावें।

मैंने जो आपसे निवेदन किया है, यह मैंने आपको अपनी सबसे कीमती चीज प्रदान की है। ब्राह्मण की सच्ची वाणी ही है। यह मेरी सच्ची वाणी मेरी सत्यमय हार्दिक सलाह है। इन 1500 रुपये से हजार गुणा कीमती है, आप इस कीमती धन को संभाल सकेंगे या नहीं, यह परमात्मा जाने। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको इतना बल दे कि आप मेरे दिये इस धन को संभाल सकें। जो हो, मैंने आपको सच्चाई सुनाकर यहाँ पर भी अपना ब्राह्मण का कर्तव्य पूरा कर दिया है। अपने पास की सबसे कीमती चीज आपको दे दी है। आप इसे अपनायेंगे तो आप पाप से बचेंगे और आपका कल्याण होगा।

यह सत्य सलाह रूपी धन मैंने आपके सामने यह जमानत करने के लिए नहीं पेश किया है कि मैं आगे से "राजद्रोह" नहीं फैलाऊँगा, किन्तु यह दूसरी जमानत करने के लिए पेश किया है कि मेरा यह ब्राह्मण का कर्तव्य पालन कभी बन्द नहीं हो सकता है। अर्थात् आपको यह पवित्र और पुण्य सलाह देकर मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ, गारन्टी देता हूँ कि ब्राह्मण की वाणी को कोई 144 जैसी दफा नहीं रोक सकती है, कोई आर्डिनेन्स नहीं रोक सकता है। जेल व काले पानी की कोई सजा इसे नहीं दबा सकती है। इन अत्याचार के साधनों से बेशक ब्राह्मण का स्थूल बोलना बन्द हो सकता है, पर अन्दर की उसकी मानसिक वाणी जो कि इस स्थूल वाणी की अपेक्षा हजार गुना प्रभाव रखती है, कभी बन्द नहीं की जा सकती, यही नहीं, किन्तु ब्राह्म वाणी के रोकने से यह और अधिक तीव्र हो जाती है, यह दावा मैंने वेद के भरोसे किया है। अथर्ववेद के 5/18 सूक्त में जिसमें ब्राह्मण की वाणी को ब्राह्मण की गौ कहा है और जिसमें कहा है कि ब्राह्मण की वाणी को रोकने वाले राजा का विनाश हो जाता है, उस वैदिक सूक्त के आधार पर मैंने दावा किया है। खतरे का घण्टा बजाने की तरह मैं इस अपने बयान द्वारा वैदिक धर्मावलम्बियों की तरफ से वेद के निम्न शब्दों में इस नामधारी सरकार को (जो कि असल में एक प्रजा द्रोही अतएव गैर कानूनी संगठन है) चेतावनी देना चाहता हूँ– 'अद्य जीवानि मा श्व:'। अर्थात् ऐसा प्रजाद्रोही राजा आज बेशक जीवित है, कल नहीं रहेगा। यदि मेरे इस कथन में सच्चाई है और मेरा हृदय शुद्ध है, तो जेल में बन्द किये जाने पर भी इन सत्य विचारों की लहरें ग्रहणशील मनों में वेग से पहुँचती रहेंगी और उन्हें प्रभावित करती रहेंगी और आपके कानों में प्रेममय पर प्रबल वाणी गूँजती रहेगी कि, 'अब सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए।' वन्दे मातरम्–जगन्मात्रेऽर्पणमस्तु।।

(साभार : ब्राह्मण की गौ)

ब्रह्म–सूत्र

द्वितीय अध्याय–तृतीय पाद (30)

यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद् दर्शनात्।।30।।

अर्थ– (यावत् आत्मभावित्वात्) जब तक आत्मा बंधन में है तब तक विद्यमान होने से (च) भी (न) नहीं है (दोष:) दोष (तत् दर्शनात्) उसके देखे जाने से।

भावार्थ– आत्मा के साथ बुद्धि आदि का संबंध संसार दशा में (बंधन की स्थिति में) लगातार बना रहता है, इसलिए आत्मसाक्षात्कार के लिए शास्त्र के उपदेश आवश्यक हैं।

शिष्य का मानना है कि आत्मा अणु परिमाण है। उस विषय में ज्ञान के साधन शरीर, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि उसे बंधन में डाले रहते हैं। इनसे मुक्ति पा लेना ही मोक्ष है। इन साधनों से छूटने के उपायों का वर्णन करने के लिए शास्त्रों का उपदेश किया जाता है। परन्तु शरीर, बुद्धि आदि सब कारण अनित्य हैं। मृत्यु होने पर बुद्धि आदि कारणों का भी नाश हो जाना चाहिए। ऐसा होने पर आत्मा स्वत: इनसे छुटकारा पा जाएगा। आत्मा का ऐसा स्वरूप मानने में यह दोष प्रतीत होता है।

सूत्रकार के अनुसार आत्मा के शरीर से निकल जाने के बाद भी आत्मा का शरीर के बुद्धि, मन, इंद्रियों से संबंध नहीं टूटता। सूक्ष्म शरीर के रूप में इनका आत्मा से संबंध बना रहता है। जब तक आत्मा को ज्ञान प्राप्ति या आत्मसाक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक सूक्ष्म शरीर से उसका छुटकारा नहीं होता। आत्मा सूक्ष्म शरीर से घिरा रहकर, एक शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। जब आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर से संबंध टूट जाता है और वह मुक्त हो जाती है। अत: शास्त्रों की उपयोगिता में किसी प्रकार का संदेह नहीं है।

जब तक आत्मा को आत्मसाक्षात्कार या ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वह बन्धन में रहता है तब तक उसका सूक्ष्म शरीर (मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि) से संबंध बना रहता है। इसका वर्णन शास्त्रों में अनेक स्थलों पर मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद् (4/3/7) में कहा है–

कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमय: प्राणेषु हृदयन्तर्ज्योति: पुरुष:।
स: समान सन्नुभौ लोकावनुसंचरति– ध्यायतीव लेलायतीव।।

जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा –"आत्मा कौन सा है?" याज्ञवल्क्य ने कहा–" जो यह विज्ञानमय–प्राणों की विद्यमानता में हृदय के अंदर चेतन पुरुष है, वह आत्मा है। वह बुद्धि आदि कारणों के साथ स्थित होकर दोनों लोकों (इहलोक और परलोक) में अनुसंचरण करता है, अर्थात् अपने किए हुए अच्छे –बुरे कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में आता–जाता रहता है। यहां विज्ञान शब्द का अर्थ 'बुद्धि' है। शरीर से निष्क्रमण के बाद भी आत्मा बुद्धि, मन आदि करणों से संवेष्टित (घिरा) रहता है। यह स्थिति आत्मसाक्षात्कार होने तक बनी रहती है। इस प्रकार मृत्यु के बाद भी बुद्धि आदि करणों का संबंध आत्मा के साथ रहता है। अत: मृत्यु के बाद इनके नाश की कल्पना कर मोक्ष प्राप्त होने की बात नहीं सोचनी चाहिए।

शिष्य जिज्ञासा करता है कि क्या मोक्ष की अवस्था में भी आत्मा का बुद्धि, मन आदि से संबंध बना रहता है? शास्त्रों में कहा है कि वहाँ जीवात्मा 'ब्रह्मानन्द' (मोक्ष के आनन्द) की अनुभूति किया करता है तो क्या तब उसे बुद्धि, मन आदि करणों से संपर्क अपेक्षित होगा? सूत्रकार इसका समाधान अगले सूत्र में करते हैं।

– डॉ. भारत भूषण विद्यालंकार
सी–2ए/90 जनकपुरी, नई दिल्ली–58

संन्यास की अवधारणा : तब और अब

प्राचीनतम धर्मसूत्रों एवं स्मृति ग्रन्थों में मानव जीवन को सौ वर्ष का मानते हुए (शतायुर्वै पुरुषः) उसे चार भागों में विभक्त करके (प्रत्येक भाग 25–25 वर्ष का) चार आश्रमों का विधान किया गया है। इन आश्रमों के नामों में भिन्न–भिन्न आचार्यों के मतानुसार थोड़ा बहुत अन्तर अवश्य पाया जाता है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र (2.9.21.1) के अनुसार चार आश्रम गार्हस्थ्य, आचार्य कुल, मौन एवं वानप्रस्थ हैं– ''चत्वारो आश्रमाः गार्हस्थ्यमाचार्यकुलं मौनं वानप्रस्थमिति''। गौतम धर्मसूत्र (3.2) में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु एवं वैखानस नाम से चार आश्रमों का उल्लेख है। वसिष्ठ धर्मसूत्र (7.1.2) तथा बौधायन धर्मसूत्र (2.6.17) में इन आश्रमों का वर्गीकरण इस प्रकार है: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं यति। इस संदर्भ में मनु (6.87) कहते हैं–

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा।
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ।।

मनु ने 'यति' संन्यासी के लिए प्रयुक्त किया है। उनके अनुसार, विधिपूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम में सब वेदों को पढ़, गृहस्थी होकर धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर, वानप्रस्थ में सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करके मोक्ष अर्थात् संन्यासाश्रम में मन लगावें। वह कहते हैं–

अधीत्य विधिवद् वेदान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः।
दृष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्।।

जाबालोपनिषद् में ''ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेद् गृही भूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्'' के द्वारा चार आश्रमों का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी लगभग इन्हीं शब्दों में चार आश्रमों का प्रावधान है– 'ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेद् गृही भूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्।' छान्दोग्योपनिषद् में तीन आश्रम विश्लेषित हैं, जिन्हें धर्मस्कन्ध की संज्ञा दी गई है– ''त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवं द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मा–नमाचार्यकुले ऽवसावयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति'' (2.23.1) अर्थात् धर्म के तीन विभाग हैं, जिनमें प्रथम यज्ञ, अध्ययन एवं दान (गृहस्थाश्रम), दूसरा तप (वानप्रस्थ) और तीसरा आचार्य कुल निवासी ब्रह्मचारी।

वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में आश्रम शब्द का नामोच्चारणपूर्वक ग्रहण नहीं है, तथापि इन वैदिक ग्रन्थों में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्येण, गृहपतिम्, मुनीनाम्, वने तस्थौ पलितः यति आदि शब्द आये हैं एवं इन आश्रमों का महत्त्व, उद्देश्य आदि का भली–भांति प्रतिपादन हुआ है।

महर्षि दयानन्द ने भी चार आश्रमों का विधान किया है– आश्रमा अपि चत्वारः सन्ति– ब्रह्मचर्य– गृहस्थवानप्रस्थसंन्यास–भेदात्। ब्रह्मचर्येण सद्विद्या शिक्षा च ग्राह्या। गृहाश्रमेणोत्तमाचरणानां श्रेष्ठानां पदार्थानां चोन्नतिः कार्या। वानप्रस्थेनैकान्तसेवनं ब्रह्मोपासनं विद्याफलविचारणादि च कार्य्यम्। संन्यासेन परब्रह्ममोक्षपरमानन्दप्रापणं क्रियते, सदुपदेशेन सर्वस्मा आनन्ददानं चेत्यादि, चतुर्भिराश्रमैधर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यक् सिद्धिः सम्पादनीया।'' (ऋग्वेदादिभाष्य– भूमिका, वर्णाश्रमविषयः)। इसमें स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इन चार आश्रमों का उल्लेख करते हुए संक्षेप में प्रत्येक के गुण धर्मों का प्रतिपादन कर दिया है। यह प्रतिपादन उन्होंने वेद, ब्राह्मण, स्मृति आदि ग्रन्थों के प्रमाणों को आधार मानकर ही किया है।

यद्यपि इन चारों आश्रमों का अपना–अपना महत्व एवं उपयोगिता है, तथापि चतुर्थ आश्रम संन्यास को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि इसमें अनासक्ति की भूमि पर खड़े होकर व्यक्ति स्थितप्रज्ञ की साधना करते हुए ईश्वर के साक्षात्कार की धुन में संलग्न रहता है, प्राणिमात्र के हित को अपना तथा सबका समझता है। जो मोहादि आवरण, पक्षपात छोड़कर, विरक्त होकर सब पृथिवी में परोपकारार्थ विचरण करे, वहीं संन्यासी होता है–सम्यङ् न्यस्यन्त्यधर्माचरणानि येन वा सम्यङ् नित्यं सत्यकर्मस्वास्त उपविशति स्थिरीभवति येन स संन्यासः। संन्यासो विद्यते यस्य स संन्यासी। संन्यास में दृढ़ वैराग्य और यथार्थ ज्ञान होना ही मुख्य कारण है (संस्कार विधि, संन्यास प्रकरण)। महर्षि दयानन्द के मत में संन्यास ग्रहण करने का अधिकार ब्राह्मण को ही है, क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान्, धार्मिक, परोपकारप्रिय मनुष्य है, उसी का ब्राह्मण नाम है। बिना पूर्ण विद्या, धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं कर सकता, इसलिए लोकश्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है, अन्य को नहीं।

एक प्रश्न उपस्थित होता है कि संन्यास–ग्रहण करने की आवश्यकता ही क्या है? सत्यार्थप्रकाश (पंचम समुल्लास) में इसका उत्तर देते हुए महर्षि कहते हैं कि जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता है, वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण, गृहकृत्य और तपश्चर्यादि का सम्बंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है। जैसे संन्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत् का उपकार करता है, वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता, क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है, उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता।

संन्यास–ग्रहण कब करना चाहिए, इस विषय में तीन विकल्प हैं: प्रथम ब्रह्मचर्य करके गृहस्थ और गृहस्थ होकर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ होके संन्यासी होवे। क्रम–संन्यासी यानी अनुक्रम से आश्रमों का अनुष्ठान करते हुए वृद्धावस्था में संन्यास लेना। द्वितीय जिस दिन दृढ़ वैराग्य प्राप्त होवे, उसी दिन चाहे वानप्रस्थाश्रम का समय पूरा भी न हुआ हो अथवा वानप्रस्थाश्रम का अनुष्ठान न करके गृहाश्रम से ही संन्यासाश्रम में प्रवेश करे–''यदहरेव विरजेत् प्रव्रजेद् वनाद् वा गृहाद् वा। इसके अतिरिक्त 'ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्'' यानी पूर्ण अखण्डित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान–विज्ञान को प्राप्त होकर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से यथावत् उठ जावे, पक्षपात रहित होकर सबसे उपकार करने की इच्छा होवे और जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरणपर्यन्त यथावत् संन्यास–धर्म का निर्वाह कर सकुंगा, तो वह सीधे ब्रह्मचर्याश्रम के बाद ही संन्यासाश्रम ग्रहण कर सकता है। (संस्कार विधि, संन्यास संस्कार प्रकरण)।

अब प्रश्न उठता है कि संन्यास की मर्यादाएं या गुणधर्म क्या है तथा संन्यासी को किन नियमों एवं कर्तव्यों का निर्वाह करना अपेक्षित है। इस विषय में धर्मसूत्रों, स्मृतिग्रन्थों आदि में विशद उल्लेख मिलता है। इनमें अन्य आश्रमों की भांति संन्यासाश्रम–धारी के लिए कठोर नियमों– उपनियमों का निर्धारण किया गया है।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार संन्यास–आश्रम ग्रहण करने का इच्छुक व्यक्ति प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति हेतु इष्ट (यज्ञ) में यज्ञोपवीत, शिखादि चिह्न को छोड़ होम करके संन्यासी हो जावे, ''प्राजापत्यामिष्टिं निरूप्य तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत्।'' यही बात मनु (मनुस्मृति 6.67) में कही है, जिसे महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश (पंचम समुल्लास) में ज्यों का त्यों उद्धृत किया है:

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्।
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात्।।

यहां संन्यास–ग्रहण से पूर्ण आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणग्नि संज्ञक अग्नियों को आत्मा में समारोपित करने का आदेश दिया गया है–अनग्निः स्यात् (मनु.)। यहां 'अनग्निः' का अभिप्राय आहवनीयादि संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है। मोटे तौर पर यह माना जाता है कि संन्यासी को न तो यज्ञ करना चाहिए और न ही यज्ञ करवाना चाहिए। एक बार अजमेर में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक संन्यासी स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती ने भी इसी बात को जोरदार शब्दों में कहा था। यहां कतिपय संन्यासियों एवं जनसमान्य के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि आखिर संन्यासी को यज्ञ से क्यों रोका गया है।

वस्तुतः संन्यासी को यज्ञ से वंचित करने का प्रमुख कारण बौधायन धर्मसूत्र (20.08.05) का निम्न विधान है–

काषायवसा यान् कुरुते जपहोमप्रतिग्रहान्।
न तद्देवं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः।।

श्री हरदत्त ने इस श्लोक की टीका में इस बात को और अधिक स्पष्ट किया है– 'हव्यं देवदैत्यं कव्यं पितृदैवत्यम्। दैवे कर्मणि पित्र्ये य काषायावासो निषेधः। श्वेत वाससा भक्तिव्यमिति विधानार्थम् किञ्च काषायवाससो यतीश्वराः।'' अर्थात् अग्नि में आहुति देना और विद्वानों को भोजन– वस्त्र तथा दक्षिणादि से सत्कृत करना हव्य एवं जीवित माता–पिता वृद्धों की भोजन–वस्त्र–मधुर भाषणादि से सेवा करना 'कव्य' कहलाता है। इन हव्य–कव्य–कर्मों में काषाय अर्थात् गेरुआ वस्त्र निषिद्ध है, श्वेत वस्त्र का विधान है। चूंकि संन्यासी काषाय वस्त्र धारण करते हैं, उनके द्वारा किये गये दोनों कर्म सफल नहीं होते।

इतना जरूर है कि बौधायन और आपस्तम्ब धर्मसूत्रों में संन्यासी के नित्य कर्मों ब्रह्मयज्ञ–संध्या तथा वेद के स्वाध्याय एवं अग्निहोत्र के मंत्रों का प्रतिदिन समय पाठ करने का विधान अवश्य है।

दूसरा तर्क यह है कि नियत मर्यादाओं के अनुसार ऋत्विक् कर्मकर्ता को शिखासूत्र सहित होना चाहिए, जबकि संन्यासी केश, दाढ़ी, मूंछ एवं यज्ञोपवीत रहित होता है। परिणामतः वह यज्ञ करने या कराने का अधिकारी नहीं है। इस पर कुछ लोग यह कहते हैं कि महर्षि दयानन्द सरस्वती भी तो यज्ञ कराया करते थे, तो फिर यदि अब संन्यासी यज्ञादि कर्म कराए तो क्या दोष? इस शंका का समाधान करते हुए स्वामी मुनीश्वरानंद सरस्वती अपनी पुस्तक 'शंका समाधान' (पृष्ठ 207) में यह लिखते हैं– ''महर्षि ने तो यह सब आपातकाल में कराया। उस समय अपने पास ऐसे गृहस्थ विद्वान् नहीं थे, जिनसे विधिपूर्वक अग्निहोत्रादि करा सकते। उनका कार्य आपातकाल में मात्र प्रचारार्थ था। उसे नित्यविधि नहीं कहा जा सकता है। यदि आज भी कहीं आपातकाल में वानप्रस्थी या संन्यासी ऐसा करता है तो कोई हानि नहीं, परंतु फिर भी अर्थासक्ति तथा पूजा–प्रतिष्ठा की भावना की उत्पत्ति का भय तो है ही।''

संन्यासी को गृह, पत्नी, पुत्रों एवं सम्पत्ति का परित्याग कर गांव के बाहर रहना चाहिए और सदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहना चाहिए। वह केवल वर्षा के दिनों में एक स्थान पर ठहर सकता है (मनुस्मृति 6.4, 43–44, वसिष्ठ धर्मसूत्र 10.12–15 शंखस्मृति 7.6)।

दक्ष स्मृति (7.37) के अनुसार ''ध्यानं शौचं तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीलता। भिक्षाश्चत्वारि कर्माणि पञ्चम् नोपपद्यते।'' अर्थात् तपस्वियों (संन्यासियों) के लिए ध्यान, शौच, भिक्षा एवं एकान्तशीलता ये चार प्रकार की क्रियाएं विहित हैं। नारद स्मृति ने यतियों के लिए छः प्रकार के कार्यों का विधान किया है– भिक्षाटन, जप, ध्यान, स्नान, शौच एवं देवार्चन। शतपथ ब्राह्मण (14.5.2) में संन्यासी को लोकैषणा, वित्तैषणा एवं पुत्रैषणा से ऊपर उठकर भिक्षुक बन अहर्निश मोक्षसाधन में तत्पर रहने वाला कहा है–''लोकैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्च उत्थाय भैक्षचर्यं चरन्ति।''

मनुस्मृति के छठे अध्याय में संन्यासी के धर्मों का विस्तार से विवेचन किया है, जिसे महर्षि दयानन्द ने भी ''सत्यार्थप्रकाश'' के पांचवें समुल्लास तथा ''संस्कार विधि'' के संन्यास प्रकरण में उद्धृत करते हुए उनसे (धर्मों से) अपनी सहमति व्यक्त की है। उनके अनुसार संन्यासी मार्ग पर चलते समय नीचे दृष्टि कर चलें, पानी छानकर पीयें, सदा सत्य बोलें, निन्दकों पर कभी क्रोध न करें, परनिन्दा से सदा दूर रहें, इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोकें, राग–द्वेष का परित्याग कर दें तथा नित्य प्राणायामों से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोषों को, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों को भस्मीभूत कर दें। मनु के स्वर में स्वर मिलाकर महर्षि कहते हैं कि अन्य आश्रमों की भांति संन्यासी को भी दशलक्षण युक्त–धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धीः, विद्या सत्य,

– शेष पृष्ठ 7 पर

हॉलैण्ड यात्रा...... प्रथम पृष्ठ का शेष

बनाया है, जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:

यूरोप यात्रा नं 1 (16 रात्रि 17 दिन) 15 सितम्बर से 01 अक्टूबर 2010 तक 15.09.2010: दिल्ली या मुंबई से लगभग 4 बजे सुबह इटली के लिए प्रस्थान। (दिनांक 14.09.2010 की रात्रि को मुंबई या दिल्ली पहुंचना होगा। 30.09.2010: लंदन से रात्रि लगभग 10 बजे भारत के लिए वापसी।

: कार्यक्रम :

15, 16, 17 सितम्बर 2010: इटली (3 रात्रि) रोम, वैटिकनसिटी, पीसा, फ्लोरेन्स तथा वैनिस इत्यादि।
18, 19, 20 सितम्बर 2010: स्विट्जरलैण्ड (3 रात्रि): एंजिलवर्ग, इन्टरलाकीन, लुसर्न आदि।
21, 22 सितम्बर 2010: फ्रान्स (2 रात्रि) डिजनीलैंड/डिजनी स्टूडियोज, एफिल टॉवर (तीसरे तल से), साइन क्रूज तथा रात की चमचमाती रोशनी में पेरिस भ्रमण।
23 से 28 सितम्बर 2010: हॉलैण्ड (6 रात्रि) 4 दिन सम्मेलन+2 दिन भ्रमण।
29 तथा 30 सितम्बर 2010: लंदन (1 रात्रि 2 दिन)।

पूरे विश्व को आकर्षित करने वाले लंदन शहर का दो दिन का भ्रमण (सिटी टूर, बकिंघम पैलेस, हाइड पार्क, बिग बैन, वैस्ट मिनिस्टर ऐबी, हाउसैज ऑफ पार्लियामैन्ट, ट्रफलगर स्क्वायर, पिकेडेली सर्कस, टॉवर ब्रिज, थेम्स रिवर क्रू, विश्व विख्यात मैडमे तुषाड़ वैक्स म्यूजियम, लंदन आई, स्वामीनारायण मंदिर आदि)।

उक्त यात्रा में इटली, स्विट्जर– लैण्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, हॉलैण्ड तथा लंदन के सभी महत्त्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों को दिखाया जायेगा। इस यात्रा की कुल **व्यय राशि रु. 1,45,500/– निश्चित की गई है,** जिसमें हवाईजहाज की टिकिट, सैन्जैन तथा लंदन वीजा इन्श्योरेन्स, सभी स्थानों पर आने–जाने की वाहन व्यवस्था, नाश्ता, भोजन, होटल सभी स्थानों के प्रवेश टिकिट, टिप्स आदि, हॉलैण्ड सभा को भारत की ओर से दिये जाने वाला दान तथा इस सम्बन्ध में होने वाले अन्य सभी खर्चे शामिल हैं।

इस यात्रा में प्रत्येक यात्री के लिए दो वीजा बनवाये जायेंगे। यूरोप के देशों के लिए सैन्जैन वीजा लेना होगा तथा लंदन के लिए वीजा अलग से लेना होगा। सैन्जैन वीजा लगभग सभी यात्रियों को मिलने की शत–प्रतिशत सम्भावना रहेगी। लेकिन लंदन वीजा सभी को मिलने की सम्भावना शत–प्रतिशत नहीं रहती है। लंदन का वीजा मिलना या न मिलना व्यक्ति की आय, आयकर तथा बैंक एकाउण्ट सम्बंधी कागजातों की स्थिति पर निर्भर करता है।

जिन बंधुओं के लिए लंदन वीजा की अर्जी लगाना सार्थक नहीं होगा अथवा जिन बन्धुओं को अर्जी लगाने के बाद भी लंदन वीजा नहीं मिल सकेगा, ऐसे सभी महानुभावों को हॉलैण्ड से ही भारत वापस जाना होगा। उनकी यात्रा 14 रात्रि तथा 15 दिन की रहेगी तथा उन्हें निम्न प्रकार रिफन्ड दिया जायेगा :

1. लंदन वीजा की अर्जी न लगाने की स्थिति में रु. 10000/– वापस किये जायेंगे।
2. लंदन वीजा की अर्जी लगाने के बाद वीजा न मिलने की स्थिति में 5000/– वापस किये जायेंगे।

नोट : वीजा न मिलने के कारण लंदन न जाने वाले यात्रियों की संख्या 30 से अधिक होने पर उन्हें रिफन्ड राशि अधिक भी मिल सकती है।

हॉलेण्ड सम्मेलन यात्रा नं० 2
(7 रात्रि 8 दिन)
23 सितम्बर से 29 सितम्बर 2010 तक 23.09.2010: दिल्ली या मुंबई से लगभग 4 बजे सुबह हॉलैण्ड के लिए प्रस्थान। (दिनांक 22.09.2010 की रात्रि को मुंबई या दिल्ली पहुंचना होगा)। **29.09.2010:** एम्सटरडम से सुबह लगभग 11 बजे भारत के लिए वापसी।

: कार्यक्रम :

23 से 26 सितम्बर 2010: अन्तर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन, हॉलैण्ड।
27 –28 सितम्बर 2010: हॉलैण्ड भ्रमण।
29 सितम्बर 2010: सुबह 11 बजे वापसी।

जो व्यक्ति केवल अन्तर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में भाग लेने हेतु हॉलैण्ड जाकर वापिस भारत आना चाहते हैं उनकी यात्रा 7 रात्रि व 8 दिन की होगी। ऐसे बन्धुओं को हॉलेण्ड में दो दिन भ्रमण भी कराया जायेगा। **इस यात्रा की राशि 58,500/– रु. होगी।** इस राशि में हवाईजहाज की टिकिट, सैन्जैन वीजा, इन्श्योरेन्स, 6 दिन का हॉलैण्ड प्रवास, (भोजन, होटल तथा भ्रमण सहित), हॉलैण्ड सभा को भारत की ओर से दिये जाने वाला दान तथा इस सम्बंध में होने वाले अन्य सभी खर्चे शामिल हैं।

हॉलैण्ड के इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले इच्छुक अनेक आर्यजन हैं, किन्तु हॉलैण्ड सभा के द्वारा वहां सीमित व्यक्तियों की व्यवस्था करना ही संभव होना बताया गया है। इसलिए सभा के द्वारा सभी महानुभावों को सम्मेलन में ले जाने की व्यवस्था संभव नहीं सकेगी। अतः सम्मेलन में जाने के लिए यात्रा नं. 1 तथा 2 के इच्छुक व्यक्ति शीघ्र ही 25,000/– का बैंक ड्राफ्ट **THOMAS COOK INDIA LTD.** के नाम का बनवाकर संलग्न आवेदन पत्र (पृष्ठ 7 पर मुद्रित)के साथ निम्न पते पर स्पीड पोस्ट अथवा कोरिअर से भेजने का कष्ट करें। आवेदन पत्र स्थानीय आर्यसमाज के प्रमाणीकरण के साथ भेजना आवश्यक है।

अग्रवाल सुरेशचन्द्र आर्य (संयोजक–अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन–2010) 12, रॉयल क्रीसेन्ट, थलतेज, अहमदाबाद–380059, मोब० 9824072509

रु. 25000/– की राशि प्राप्त होते ही संबंधित यात्री को सैन्जैन तथा लंदन वीजा हेतु तैयार किये जाने वाले आवेदन पत्र भेज दिये जायेंगे जिन्हें पूरी तरह भर कर फोटो, पासपोर्ट व अन्य आवश्यक कागजातों के साथ तथा यात्रा–व्यय की शेष राशि के ड्राफ्ट के साथ THOMAS COOK INDIA LTD. Poona द्वारा दिये हुए पते पर उन्हें भेजने होंगे। वीजा संबंधित कागजात तथा शेष राशि मिलते ही वीजा तथा टिकिट के लिए कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी और तत्सम्बंधित आवश्यक सूचनाएं सभी यात्रियों को भेज दी जायेंगी।

यात्रा नं.1 के लिए यात्रा–व्यय का भुगतान निम्न प्रकार हैं :

25,000/–	एडवांस पेमेन्ट थामस कुक इन्डिया लि. के नाम (Payable at pune)
1,08,500/–	शेष राशि का बैंक ड्राफ्ट थामस कुक इन्डिया लि. के नाम (Payable at pune)
10,000/–	फेडरेशन ऑफ आर्यसमाज, नीदरलैंड को दान देने हेतु आपको प्रति व्यक्ति 170 यूरो सम्मेलन के संयोजक महोदय के पास यात्रा पर जाने से पूर्व जमा कराने हैं।
2,000/–	बैंक ड्राफ्ट द्वारा श्री विनय आर्य, महामंत्री–दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15 हनुमान रोड, नई दिल्ली–1 को भेजें।
1,45,500/–	

यात्रा नं.2 के लिए यात्रा–व्यय का भुगतान निम्न प्रकार हैं :

25,000/–	एडवांस पेमेन्ट थामस कुक इन्डिया लि. के नाम (Payable at pune)
21,500/–	शेष राशि का बैंक ड्राफ्ट थामस कुक इन्डिया लि. के नाम (Payable at pune)
10,000/–	फेडरेशन ऑफ आर्यसमाज, नीदरलैंड को दान देने हेतु आपको प्रति व्यक्ति 170 यूरो सम्मेलन के संयोजक महोदय के पास यात्रा पर जाने से पूर्व जमा कराने हैं।
2,000/–	बैंक ड्राफ्ट द्वारा श्री विनय आर्य, महामंत्री–दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15 हनुमान रोड, नई दिल्ली–1 को भेजें।
58,500/–	

यूरोप यात्रा नं. 3 (21 रात्रि 22 दिन)
केवल 30 व्यक्तियों के लिए
9 सितंबर से 29 सितंबर 2010
यात्रा प्रारंभ : 08 सितंबर 2010: मध्य रात्रि 12 बजे के बाद लगभग 4 बजे सुबह इटली के लिए प्रस्थान।
यात्रा वापसी : 29 सितंबर 2010: रात्रि भारत पहुंचेंगे।

: कार्यक्रम :

9–13 सितंबर इटली (5 रात्रि) इटली में रोम, वैटिकन सिटी, फ्लोरेंस, पीसा, वैनिस आदि।
14–17 सितंबर : स्विट्जरलैंड (4 रात्रि) एंजिलबर्ग, इंटरलाकीन, लूसरन, ज्यूरिक आदि।
18–19 सितंबर : आस्ट्रीया (2 रात्रि) बियना, इंसब्रुक।
20 सितंबर : जर्मनी (1 रात्रि) म्यूनिक।
21–22 सितंबर : फ्रांस (2 रात्रि) डिजनीलैंड, एफिल टॉवर।
23 सितंबर : बैलजियम, ब्रीजल्स होते हुए हॉलैण्ड, नीदरलैण्ड, डेन–हॉग सम्मेलन स्थल पर पहुंचेंगे।
23–28 सितंबर : सम्मेलन 4 दिन–2 दिन भ्रमण।
29 सितंबर : भारत वापस पहुंचेंगे।

यात्रा व्यय – 1,75,000/– (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र)। इसमें हवाईजहाज का टिकट, सैन्जैन वीजा, इन्श्योरेंस, आने–जाने की वाहन व्यवस्था, नाश्ता, दोनों समय का भोजन, होटल, दर्शनीय स्थलों के प्रवेश टिकट, टिप्स, सार्वदेशिक सभा द्वारा भारत की ओर से देय 10000/– फेडरेशन ऑफ आर्यसमाज, नीदरलैण्ड को देय दान एवं सभा द्वारा खर्चों सहित यह राशि है।

भुगतान का प्रकार – 50,000/– रु. अग्रिम राशि तथा 1,15,000/– रु. का शेष भुगतान COX AND KINGS (INDIA) के नाम (Payable at Delhi) बैंक ड्राफ्ट द्वारा करना होगा। फैडरेशन ऑफ आर्यसमाज नीदरलैण्ड को प्रति व्यक्ति द्वारा देय 10,000/– रु. (170 यूरो) देय इस यात्रा के संयोजक ब्र. राजसिंह आर्य के पास यात्रा से पूर्व जमा कराने होंगे। वीजा हेतु आवश्यक सभी कागजात ड्राफ्ट सहित शीघ्र पोस्ट द्वारा दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15–हनुमान रोड, नई दिल्ली– 110001 के पते पर ब्र. राजसिंह आर्य के नाम भेजें। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर करके भेजें।

नोट : मार्ग में पीने का पानी अनलिमिटेड प्राप्त होगा। आवेदन पत्र दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15–हनुमान रोड, नई दिल्ली–1 पर उपलब्ध है। यह यात्रा केवल 30 व्यक्तियों के लिए है। 15 जुलाई 2010 तक जिनकी पेमेंट एवं उक्त दस्तावेज उपलब्ध हो जायेंगे, उन्हें ही इस यात्रा में शामिल किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी को भी यात्रा में शामिल नहीं किया जाएगा।

वीजा हेतु आवश्यक दस्तावेज

(1) पासपोर्ट – सभी पेजों की फोटोकॉपी, (2) तीन वर्ष का आयकर का रिटर्न, (3) 6 महीने की अपडेटड बैंक स्टेटमेंट, (4) L.I.C., N.S.C., किसान विकास पत्र या अन्य कोई भी सेविंग प्रमाण–पत्र, (5)

शेष पृष्ठ 6 पर

आर्य वीरांगना... पृष्ठ 1 का शेष

तलवारबाजी का प्रदर्शन करतीं आर्य वीरांगनाएं।

चरित्रवान बन शक्तिशालिनी बनें, तभी वे समाज में आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगी। 13 जून को समापन समारोह के अवसर पर वीरांगनाओं ने अपनी शारीरिक कलाओं का उत्कृष्ट एवं भव्य प्रदर्शन किया। उनके हेरतअंगेज प्रदर्शन को देख दर्शक रोमांचित हो गए। कार्यक्रम का शुभारंभ 10 बजे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकारी प्रधान श्री आनन्द कुमार आर्य ने ध्वजारोहण कर किया। इस अवसर पर अजमेर शहर के मेयर श्री धर्मेंद्र गहलोत, प्रो० रासा सिंह रावत आदि भी उनके साथ थे। उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। प्रतियोगिताओं में विजयी आर्य वीरांगनाओं को पुरस्कार एवं स्मृति चिह्न प्रदान किये गए। कुमारी अभिलाषा आर्या एवं सह शिक्षिका कुमारी देवयानी आर्या आदि ने वीरांगनाओं को प्रशिक्षण दिया।

– डॉ० साध्वी उत्तमा यति, शिविर संचालिका

शोध सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सहयोग की अपील

मैं सन् 1930 की अवधि के दौरान विवाह के संदर्भ (महर्षि दयानन्द एवं आर्यसमाज) में शोध कार्य कर रहा हूं। मेरा शोध उस समय में प्रचलित बाल विवाह, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन में नारी की भूमिका आदि पर आधारित है। इस अवधि में आर्यसमाज इन मुद्दों पर आंदोलनरत था। इन विषयों पर सामग्री निम्नलिखित पुस्तकों एवं पत्र- पत्रिकाओं में उपलब्ध है। मैं उनकी सूची यहां दे रहा हूं। जिस किसी महानुभाव के पास ये पुस्तकें और पत्र–पत्रिकायें या अन्य कोई संबंधित संदर्भ सामग्री है तो कृपया वे मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मैं महर्षि दयानन्द एवं आर्यसमाज के द्वारा किए गए आंदोलनों को विस्तृत रूप से अपने शोध ग्रंथ में प्रकाशित करना चाहता हूं। जिससे की लोगों को आर्यसमाज और महर्षि दयानन्द द्वारा किए गए इन विषयों में योगदान की जानकारी मिल सके। महर्षि दयानन्द और आर्यसमाज द्वारा किये गये इस क्षेत्र में योगदान के बारे में विस्तृत रूप से प्रामाणिक सामग्री एक ही स्थल पर संकलन रूप में मुझे उपलब्ध नहीं हुई है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का शोधकार्य हम सबके लिए अति उपयोगी होगा। मैं आशा करता हूं कि इस विषय में मुझे आपका पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा।

(1) Dumati Devi, 'Sarda Bill', Arya Mahila, 12, 9 (December 1929), pp. 690-3., (2) Keshavkumar Thakur, Vivah aur Prem (Allahabad, 1930, 2nd edn, 2000, (3) Keshavkumar Thakur, Grhasth Jivan (Prayag, 1932, (4) Chandrabali Mishra, Adarsh Hindu Nari (Banaras, 1930), (5) Gopal Devi, Divya Deviyan (Prayag, 1926)., (6) Vijaybahadur Singh Thakur, Dampatya Shastra (Prayag, 1933), (7) Sushila Devi Nigam, Dampatya Jivan, {Conjugal Life}, (Allahabad, 1930), (8) Balmukund Vajpei, Hindu Vivah {Hindu Marriage} (Lucknow, 1919)., (9) Chetram Tripathi, Sarda Kanoon Aur Sanatan Dharma (Kashi, 1929), (10) Munnilal Sahu Vaishya, Bal Vivah Nishedh Kanoon (Banaras, 1929., (11) , MannanDube, Hindu Vidhwayen [Hindu Widows] (Mathura, 1924).1, (12) Sukhnandan Prasad dube, Chuachut ka Bhut [The Ghost of Purity and Pollution] (Lucknow, 1933)., (13) Jugal Kishore, Vivah ka Uddeshya [Purpose of Marriage] (Agra, 1922, 2nd edn)., (14) Paribrajak, Swami Sary-adev, Sangathan ka Bigul [Trumpet of Sangathan] (Dehradun, 1926, 3rd edn)., (15) Parmanand, Bhai, Hindu Jati ka Rahasya [Secrets of Hindu Community] (Lucknow, 928)., (16) Parmanand, Bhai, Hindu Sangathan (Lahore, 1936)., (17) , Mahasevak, Puna-rvivah Vidhan [Treatise on Widow-Remarriage] (Prayag, 1925)., (18) Murli Dhar Kakkar, Bal Vidhwa Vivah [Marriage of Child Widows] (Allahabad, 1918)., (19) Uma Nehru, mother india ka jawab, Reply to mother india, (20) Chandravati Lakhanpal, striyon ki sthiti, (Lucknow Ganga Pustak Mala, 1934), (21) Chandravati Lakhanpal, Mother India ka jawab, (22) Dwarka Prasad, Vidhwa Vipatti Prakash [The Revealer of Widows' Distress] (Kanpur, 1915)., (23) Ramswarup Sfiarma, Vidhwa Vivah Mimansa [A Dissertation Against Widow, (24) Remarriage] (Moradabad, 1906)., (25) Ganga Sharan Upadhaya, Vidhva vivah mimansa Chand, Allahabad, mon-thly Stri Darpan, Allahabad.

मनीष शर्मा (प्रज्ञाचक्षु)
सहायक प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
स्वामी श्रद्धानन्द कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय), अलीपुर, दिल्ली–36

श्री मनीष शर्मा जी उक्त विषय पर महत्वपूर्ण शोध कार्य कर रहे हैं। यह शोध प्रबंध आर्यसमाज के इतिहास संकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। अतः मेरा सभी संबंधित महानुभावों से निवेदन है कि वे यहां उल्लिखित शोध संदर्भ सामग्री श्री मनीष जी को उपलब्ध कराने में भरपूर सहयोग करें। आशा करता हूं, आप सभी इस पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करेंगे। **–विनय आर्य, महामंत्री मो० 9958174441**

उपदेशकों की आवश्यकता

वेद प्रचार विभाग एम.डी.एच. योग्य, समर्पित एवं निष्ठावान वैदिक धर्म के प्रचार–प्रचार के लिए उपदेशकों द्वारा आवदेन पत्र आमंत्रित करता है। जो दिल्ली एवं उसके आसपास क्षेत्रों में वेद प्रचार कार्य कर सकें। गुरुकुलीय पद्धति से पढ़े अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। वेतन योग्यतानुसार देय होगा। इच्छुक व्यक्ति यथाशीघ्र अपना पूर्ण विवरण देते हुए आवेदन पत्र– **संयोजक, वेद प्रचार विभाग (एम.डी.एच), 9/44 कीर्ति नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–15** के पते पर भेजें।

निर्वाचन

आर्यसमाज बी ब्लॉक जनकपुरी, नई दिल्ली–58

प्रधान –श्री वीरेन्द्र खट्टर
मंत्री –श्री जगदीशचंद गुलाटी
कोषाध्यक्ष–श्री यशपाल आर्य

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा
कार्य एवं गतिविधियों को जानने के लिए लॉगऑन करें
www.delhisabha.com

प्रेरक प्रसंग

आर्य ऐसे होते हैं

दानगर के मेले पर आर्यलोग प्रचार– शिविर लगाया करते थे। उस प्रचार–शिविर में एक पूज्य आर्यविद्वान् कुर्सी पर बैठे हुए थे। सब आर्य श्रद्धा से उन्हें नमस्ते कर रहे थे। एक नन्हा बालक दौड़ा हुआ आया, उसने श्रद्धापूर्वक कहा–"पण्डित जी नमस्ते!" उन दिनों तो आर्यों को नमस्ते का भी मूल्य चुकाना पड़ता था।

बालक से नमस्ते सुनकर पण्डित जी भावविभार हो गये। उस बालक को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी हथेली पर एक पैसा धर दिया। थोड़ी देर के पश्चात् बालक फिर दौड़ा आया और कुछ कहे बिना वह पैसा पण्डितजी की कुर्सी पर रख गया या यूँ कहिए कि लौटा गया। पण्डित ने पास बैठे आर्यों से कहा–"क्या बात है, इस बालक को मैंने पुरस्कार स्वरूप यह पैसा दिया था। यह लौटा क्यों गया है?" आर्यपुरुषों ने कहा–"यह बच्चा महाशय बहालसिंह का है। वह पैसा ग्रहण नहीं करेगा।" उन्होंने बहालसिंह का नाम इस ढंग से लिया कि पण्डित जी समझ गये कि बहालसिंह कोई साधारण पुरुष नहीं है। पण्डितजी ने पूछा–"बहालसिंह कौन हैं? तब उन्हें बताया गया कि यह पुलिस विभाग में हैं और रात को चौकीदारी की ड्यूटी देते हैं। ये वही बहालसिंह थे जो यह आवाज लगाया करते थे–'पाँच हजार साल से सोनेवालो!! जागो।'

इन्हीं बहालसिंहजी ने बिजनौर–क्षेत्र में पाँच आर्यसमाज स्थापित किये थे। मथुरा की ऋषि जन्मशताब्दी व अजमेर की अर्ध– निर्वाण शताब्दी पर महात्मा नारायण स्वामी जी ने आर्यों के नाम सन्देश देते हुए दोनों बार अपने लेखों में बहालसिंह जी की चर्चा की थी। इससे पाठक समझ लें कि बहाल सिंह किस लग्न का व्यक्ति था। ऊपर जिस विद्वान् पण्डित का उल्लेख है वह थे लेखनी सम्राट् श्री पण्डित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय। उपाध्याय जी ने अपने एक महत्त्वपूर्ण लेख में बहालसिंह के आर्यत्व पर अपने उद्गार प्रकट किये थे।

(साभारः राजेन्द्र जिज्ञासु, 'तड़पवाले तड़पाती जिनकी कहानी')

हॉलैण्ड यात्रा.. पृष्ठ 5 का शेष

आपके नाम प्रोपर्टी के पेपर, (6) 4 फोटो सफेद बैकग्राउंड–फोटो में कपड़े डार्क कलर के हो, फोटो में चेहरा 80 प्रतिशत होना चाहिए। फोटो का साइज 35 mm x 45 mm, (7) बिजनेस मैन अपने बिजनेस का प्रूफ जैसे विजिटींग कार्ड–लेटर हेड, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, (8) आर्यसमाज की सदस्यता का प्रमाण–पत्र।

सार्वदेशिक सभा द्वारा इस कार्य हेतु 5 सदस्यों की एक समिति गठित की गई है जिसके संयोजक श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल उपप्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा हैं। अन्य सदस्य श्री आनन्द कुमार आर्य– कार्यकारी प्रधान, श्री प्रकाश आर्य–महामंत्री, श्री राजसिंह आर्य–प्रधान, दिल्ली सभा, श्री विनय आर्य– महामंत्री, दिल्ली सभा हैं।

विशेष : (1) उपर्युक्त दर्शायी गई तीनों यात्राओं की यात्रा–व्यय राशि का पूर्ण भुगतान 15/07/2010 तक करना होगा। इस तिथि तक पत्र में दर्शायी राशि का ही भुगतान करना होगा। इस तिथि के पश्चात् यात्रा–व्यय में वृद्धि हो सकती है, जो उन यात्रियों को ही वहन करनी होगी। (2) किन्हीं कारणों से वीजा नहीं बना तो वीजा की फीस व एक हजार रुपया व्यय काटकर शेष राशि लौटा दी जावेगी क्योंकि वीजा शुल्क वापिस प्राप्त नहीं होता। वीजा और टिकिट निश्चित हो जाने के बाद उसके बाद यदि कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा तो फिर जमा की गई राशि किसी भी हालत में लौटाई नहीं जावेगी। (3) ध्यान रहे कि इस यात्रा के लिए आपके पासपोर्ट की वैधता (Vailidity) 31.03. 2011 तक होनी आवश्यक है।

कृपया उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर आवेदन पत्र व राशि भेजें ताकि बाद में अकारण कोई विवाद न हो। यात्रा संबंधी अन्य जानकारी हेतु मुझसे तथा निम्नलिखित महानुभावोंसे सम्पर्क कर सकते हैं :

(1) श्री अग्रवाल सुरेशचन्द्र आर्य, मो० 09824072509, (2) श्री आनन्द कुमार आर्य, मो० 09331866618, (3) श्री राजसिंह आर्य, मो० 093500–77858 (4) श्री विनय आर्य, मो० 09717174441।

एक अद्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महा–सम्मेलन तथा अविस्मरणीय यूरोप यात्रा की आशा और विश्वास के साथ– भवदीय

प्रकाश आर्य (*मो० 09826655117*)

निर्वाचन

आर्यसमाज अमर कॉलोनी नई दिल्ली–24	आर्यसमाज पश्चिम पुरी नई दिल्ली–63
प्रधान –श्री जितेन्द्र कुमार डावर	**प्रधान** –श्री वेदप्रकाश मल्होत्रा
मंत्री –श्री ओमप्रकाश छाबड़ा	**कार्य० प्रधान**– श्री राजेन्द्र दुर्गा
कोषाध्यक्ष–श्री सुभाषचंद आर्य	**मंत्री** –श्री सतीश आर्य
	कोषाध्यक्ष–श्री प्रियदर्शन

शोक समाचार

श्री रामपाल शास्त्री को पितृशोक

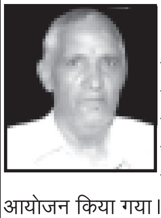

मानव सेवा प्रतिष्ठान (नई दिल्ली) के प्रधान श्री रामपाल शास्त्री के पिता श्री रामपत आर्य का 10 जून 2010 को ग्राम ईस्माइला, रोहतक (हरि0) में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 12 जून को उनके पैतृक गांव ईस्माइला में वैदिक रीति से आर्यसमाज के अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया। 20 जून को शान्तियज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक आर्य महानुभाव उपस्थित थे।

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा एवं आर्यसन्देश परिवार के समस्त अधिकारी एवं कार्यकर्त्ता परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोक-संतप्त परिजनों को इस दारुण दुःख को सहन करने की शक्ति, सामर्थ्य एवं उनके पदचिह्नों पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। –सम्पादक

संन्यास... पृष्ठ 4 का शेष

अक्रोध–वेदोक्त धर्म का सदा सेवन स्वयं करना चाहिए और दूसरों को भी उन पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए। ऐसा करके संन्यासी धीरे– धीरे सब संगदोषों को छोड़, हर्ष–शोकादि सब द्वन्द्वों से विमुक्त होकर ब्रह्म ही में अवस्थित होता है।

दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः।
धृतिः क्षमादमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधोदशकं धर्मलक्षणम्।
अनेन विधिना सर्वं त्यक्त्वा सङ्गाञ्छनैः शनैः।
सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते।।
(मनु 6.61, 62, 81)

यह तो रही शास्त्र की बात यानी शास्त्रसम्मत अवधारणा। पर अब समय के साथ–साथ व्यावहारिक अवधारणा में परिवर्तन हो रहा है। भारत में तो संन्यासियों की भरमार है, वह चाहे आर्यसमाज से सम्बद्ध हो या पुराणमतावलंबी हो। व्यवहार में प्रायः यह देखा जाता है कि वर्तमान में संन्यास धारण करने वाले कतिपय अपवादों को छोड़कर अधिकांश व्यक्ति शास्त्रविहित उक्त प्रावधानों की चिन्ता नहीं करते। वे संन्यास आश्रम की दीक्षा लेने तक की विधि–विधान का पालन कर लेते हैं। पर उसके बाद वे 'वनस्थ' होने की बजाय 'भवनस्थ' हो जाते हैं, भिक्षाटन करने के बजाय गृहस्थियों की भांति घर में ही भोजन बना या बनवाकर ग्रहण करते हैं, अधिक करेंगे तो किसी भोजनालय का सहारा ले लेते हैं। इसका कारण यह है कि अब भिक्षा देने की प्रवृत्ति समाप्त सी हो गई है और यदि कोई भिक्षा मांगता भी है तो उसे बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इस स्थिति में बचने के लिए कोई–कोई तो घर–परिवार में ही निवास करते हैं, सुख–सुविधा एवं मनोरंजन के समस्त आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं। कुछ संन्यासी प्रवर युवक–युवतियों को शिष्य–शिष्या बना लेते हैं तथा धन–सम्पदा से दूर रहने के बजाय सम्पत्ति में डूबे रहते हैं। कुछ पुरुष या स्त्री गृहस्थ के दायित्वों से मुक्त हुए बिना ही विरक्त होने का नाटक करते हुए संन्यास लेते हैं और बच्चों की देखरेख/पालन– पोषण में व्यस्त रहते हैं। कुछ का लोकैषणा पीछा नहीं छोड़ती, वे राजनीति के मोहजाल में, नेतागीरी में, पदलोलुपता के चक्र में, बड़े–बड़े मठ–आश्रम आदि बनाने में लगे रहते हैं। उनका गेरुआ बाना केवल लोक दिखावे के लिए होता है। ऐसी स्थिति आर्य–संन्यासियों में तो शायद ही देखने में आती हो।

एक स्वामी जी थे। वे कहा करते थे कि मैं रुपये–पैसे को हाथ नहीं लगाता हूँ। वे धन अपने पास रखते तो थे, किसी को देना होता था तो चिमटी से उठाकर देते थे या जिसको देना होता था नोटों से भरी डिबिया उसी के सामने कर अपने हाथ से लेने को कहते थे। यह कोई सुनी–सुनाई गाथा नहीं है, वरन् स्वयं देखी सत्य घटना है। यदि धन–सम्पदा से मोह है ही तो इस प्रकार का नाटक करने की क्या आवश्यकता है। यदि विरक्त हो गये तो मठ–आश्रम–जागीर जुटाकर उसमें लिप्त रहने का क्या औचित्य है। संन्यासी का दायित्व है कि वह स्थान–स्थान पर वैदिक आर्य भारतीय संस्कृति का प्रचार–प्रसार करे।

वर्ष 2010 में हरिद्वार में कुम्भ का बृहत् आयोजन हुआ। देश के कोने–कोने से प्रख्यात संत एवं साधु–संन्यासियों का जमावड़ा लगा। इस अवसर पर होड़ लगी थी भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को साधु–साध्वी एवं महामंडलेश्वर बनाने की। बड़ी संख्या में महिलाएं भी साध्वी रूप में दीक्षित की गईं, कुछ को नागा–साध्वी की संज्ञा भी दी गई। आज प्रतियोगिता है कि कौन महन्त/ महा मंडलेश्वर/संत अपने साथ कितने विदेशियों को जोड़ सकता है। कौन कितना बड़ा धनपति–कुबेर है, जिसके जितने अधिक शिष्य–शिष्याएं हैं और जिसके पास जितनी अधिक धन सम्पदा है, वह उतना ही बड़ा संत–महात्मा माना जाता है। इस प्रवृत्ति का वैदिक–भारतीय संस्कृति/हिन्दू धर्म के विस्तार में कितना लाभ मिलेगा यह भविष्य के गर्त में छिपा है।

भले ही कोई संन्यासी अपने जीवन काल में येन–केन प्रकारेण लोकैषणा से बचा रहे परन्तु मृत्यु के उपरान्त भी उसे लोकैषणा से मुक्त नहीं रखा जा रहा है। ऐसा इस कारण हो रहा है कि लोगों द्वारा चरित्र की नहीं, चित्र–प्रतिमा–समाधि की पूजा हो रही है। महर्षि दयानन्द को संभवतः इस स्थिति का आभास पहले से ही था, यही कारण रहा कि वे अपना चित्र खींचने का विरोध करते रहे। इस सन्दर्भ में मुझे 'आर्यसमाज का इतिहास' (प्रथम खण्ड) में उल्लिखित यह प्रसंग याद आ रहा है– बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना हो जाने पर श्री हरिश्चन्द्र चिन्तामणि महर्षि दयानन्द का फोटो खींचने गये। स्वामी जी को भय था कि आर्यसमाज भी एक सम्प्रदाय का रूप प्राप्त न कर ले और उनके अनुयायी उन्हें गुरु मानकर उनकी पूजा–अर्चना न करने लगे। अतः उन्होंने फोटो खींचने की अनुमति इस विशेष आदेश के साथ दी कि आर्यसमाज मंदिर में उनकी फोटो न रखी जाये। पर हुआ इसके विपरीत, प्रत्येक आर्यसमाज मंदिर में एवं आर्य–संस्थाओं में स्वामी में स्वामी जी के चित्र लगाये जा रहे हैं। उनके अनुयायी स्वामी श्रद्धानन्द की तो प्रतिमाएं भी स्थापित कर दी गई हैं, आज भी किन्हीं अन्य की प्रतिमा–स्थापन का क्रम जारी है। चित्र तो प्रायः सभी प्रमुख आर्य नेताओं के लगाये जाते हैं। यह किसी को पता नहीं कि कौन–सा चित्र वास्तविक (कैमरे से खींचा गया है) और कौन–सा चित्रकार की देन है। विशेष अवसरों पर उन्हें पुष्प मालाएं भी पहनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है।

कुछ दिन पूर्व गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय हरिद्वार स्थित सिंहद्वार पर स्थापित स्वामी श्रद्धानन्द (पूर्व नाम महात्मा मुंशी राम; गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक) की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराने का समाचार भी दृष्टि में आया था।

कष्ट इस बात का है कि पौराणिक विचारधारा के लोगों में तो मूर्ति/चित्र लगाने की परम्परा थी ही, पर अब आर्यसमाज में भी यह प्रवृत्ति घर करती जा रही है। महर्षि दयानन्द की इच्छा तथा आर्यसमाज के सिद्धान्तों के विपरीत ऐसा करने का क्या औचित्य है? इसका उत्तर आर्यजगत् व सुधी नेता एवं विद्वान् ही दे सकते हैं। इस बारे में मेरा तो यही विनम्र निवेदन है कि महर्षि के अनुयायियों को किसी का भी चित्र या प्रतिमा लगाने से बचना चाहिए, फिर भी कम से कम संन्यासी को तो इससे बचा कर रखना ही चाहिए जो जीवन भर लोकैषणा से बचा रहा। इहलोक लीला समाप्ति के बाद उसके चरित्र की नहीं, चित्र की पूजा करने का प्रयास किया जाता रहा है।

'अब' की इस कहानी से कुछ लोगों को कष्ट हो सकता है, पर वास्तविकता को कड़वी घूंट की तरह निगलते हुए रोग का कुछ तो उपचार करना ही होगा तथा 'तब' के प्रावधानों को यथासंभव अपनाने का प्रयास करना अभिप्रेत है।

निष्कर्म रूप में आधुनिकता के परिवेश में चारों आश्रमों में ऋषि–मुनियों के मन्तव्यों के प्रतिकूल यत्–किंचित् किसी भी आश्रम में स्वच्छन्दता स्पृहणीय नहीं कही जा सकती है। यदि शास्त्र–विहित विधानों का शुद्ध रूप में पालन किया जाये तो एक ओर जहां संन्यास आश्रम की मर्यादा बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर समाज व राष्ट्र का भी लाभ होगा। साथ ही संन्यासी अपना सभी प्रकार का विकास करके अपने परम पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कर सकेगा। साथ ही वह सच्चे अर्थों में 'संन्यासी' बनकर श्रद्धा का पात्र बन सकेगा।

–डॉ. विनोदचंद्र विद्यालंकार
217, आर्य वानप्रस्थाश्रम, ज्वालापुर (हरिद्वार)

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली

अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, हॉलैण्ड हेतु आवेदन पत्र

श्री अग्रवाल सुरेशचन्द्र आर्य
यात्रा संयोजक– अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन–2010
12, रॉयल क्रीसैन्ट, थलतेज
अहमदाबाद–380059
मो० 098254072509

महोदय,

मैं अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, हॉलैण्ड में भाग लेने जाना चाहता हूँ/चाहती हूँ। इस संबंध में आपके द्वारा प्रेषित जानकारी को मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया है तथा उसमें दी गई सभी बातें मुझे स्वीकार हैं। मेरी अन्य जानकारी निम्न प्रकार हैः

नाम.. पिता/ पति का नाम..

आयु .... जन्म दिनांक......................... व्यवसाय ....

स्थायी पता ....

...

टेलीफोन नं0.................. मोबाईल नं0........................... ई–मेल..........

मैं आर्यसमाज..का/ की सदस्य हूँ।

मेरा पासपोर्ट .... तक के लिए वैध है।

मेरा पासपोर्ट नम्बर .... है।

मैं सम्मेलन के अतिरिक्त इटली, स्विट्जरलैण्ड, फ्रांस, वेल्जियम तथा लंदन का भी भ्रमण करना चाहता हूँ/चाहती हूँ। अतः मैंने **यूरोप यात्रा नं०1** का चयन किया है।

अथवा

मैं हॉलैण्ड जाकर सम्मेलन में भाग लेकर भारत लौटना चाहता हूँ / चाहती हूँ। अतः मैंने **हॉलैण्ड सम्मेलन यात्रा नं०2** का चयन किया है।

(आप जिस यात्रा में जाना चाहें उस पर ✓ का निशान लगा दें।)

उक्त यात्रा के लिए मैं अग्रिम धनराशि के रूप में रु. 25,000/– का बैंक ड्राफ्ट साथ में भेज रहा हूँ/रही हूँ। कृपया मुझे शीघ्र ही वीजा फार्म तथा अन्य जानकारी भेज दें। मैं 15/07/2010 से पूर्व यात्रा–व्यय की शेष राशि वीजा फार्म के साथ भिजवा दूँगा/दूँगी।

मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है।

भवदीय / भवदीया

दिनांक .... **(आवेदक के हस्ताक्षर)**

❖ साप्ताहिक आर्य सन्देश ❖

28 जून, 2010 से 04 जुलाई, 2010

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15–हनुमान् रोड, नई दिल्ली–110001

दिल्ली पोस्टल रजि.नं0 डी.एल.(एन.डी.)–11/6071/2009–2011
नई दिल्ली पी.एस.ओ. में पोस्ट करने की दिनांक 01/02–07–2010
पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स नं0 यू0(सी0) 139/2009–11
आर. एन. नं. 32387/77

आर्य परिवारों के विवाह योग्य युवक–युवतियों का परिचय सम्मेलन 25 जुलाई को

रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिल्ली की सभी आर्यसमाजों एवं प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं के कार्यालयों में उपलब्ध

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा (पं0) द्वारा प्रारम्भ की गई आर्य परिवार विवाह संयोग सेवा के लिए पंजीकरण कार्य चल रहा है। यह आयोजन 25 जुलाई 2010 को दिल्ली में आर्यसमाज पंजाबी बाग (पश्चिम) में प्रातः 10 बजे होगा। दोपहर में भोजन की व्यवस्था भी की गई है। इस आयोजन में केवल उन्हीं परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें 7 जुलाई तक मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिल्ली की सभी आर्यसमाजों एवं प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं के कार्यालयों में उपलब्ध हैं। पंजीकृत महानुभावों को डायरेक्टरी यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। जो महानुभाव अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं, वे यथाशीघ्र **दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा 15, हनुमान रोड, नई दिल्ली** स्थित कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सभा की वैबसाइट www.delhisabha.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण विवरण के साथ फार्म भरें एवं उसके साथ दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम 100/ रु0 का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर कार्यालय के पते पर भेज दें। विशेष जानकारी के लिए इस योजना के **संयोजक श्री गोविन्द लाल जी (मो. 9811623552)** अथवा **श्री कंवरभान खेत्रपाल जी (मो. 9990083831)** से सम्पर्क करें।

पंजीकरण की अंतिम तिथि
7 जुलाई 2010

सभा द्वारा **वैवाहिक विज्ञापन** की भी सेवा की जा रही है। एक अंक के लिए निर्धारित शुल्क 150/–, दो के लिए 250/– तथा लगातार तीन अंकों के लिए 350/– रुपये देय होगा।

– विनय आर्य, महामंत्री (9958174441)

नेमस्लिप्स

विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को महर्षि दयानन्द जी के बारे में जानकारी देने तथा उन्हें आर्यसमाज की ओर आकर्षित करने की छोटी सी शुरुआत : कापी–किताबों पर चिपकाने के लिए नेमस्लिप्स। 18 स्लिप्स का एक सैट मात्र 5/– रुपये प्रति शीट।

सामाजिक, धार्मिक व समसामयिक गतिविधियों का दर्पण

साप्ताहिक आर्य सन्देश

आप तक पहुंचाता है, देश–विदेश सहित दिल्ली एवं आसपास की आर्य संस्थाओं की अनेक जानकारियां। आप पढ़ें, इष्टमित्रों को भी पढ़ाएं और सदस्य बनें और बनाएं।

संपर्क करें : 23360150

वार्षिक सदस्यता : 150/- आजीवन सदस्यता 750/-

प्रतिष्ठा में,
श्री.........................

अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश अब MP-3 में भी

महर्षि दयानन्द सरस्वती के अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश के सम्पूर्ण समुल्लासों की MP3 डीवीडी सुमधुर एवं स्पष्ट आवाज में 35 घंटे की चलने वाली सीडी जो आपको तथा सुनने वाले समस्त लोगों को सत्यार्थप्रकाश की शिक्षाओं को समझाने में सहायक होगी। जब चाहें जो भी समुल्लास सुनें और सुनाएं **3 सीडी का सैट मात्र 60 रुपये में।** डाक से मंगाने हेतु डाकव्यय पृथक् से देय होगा। इसके साथ–साथ सम्पूर्ण सत्यार्थप्रकाश ऑडियो डीवीडी में भी उपलब्ध है। **ऑडियो डीवीडी मात्र 15/– रुपये।**

सम्पर्क करें – दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15 हनुमान रोड, नई दिल्ली–1

सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक ब्र0 राजसिंह आर्य ने दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के लिए सार्वदेशिक प्रेस, 1488 पटौदी हाऊस, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से छपवाकर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15–हनुमान रोड नई दिल्ली–1; फोन : 23360150; टैलीफैक्स 23365959; E-mail : aryasabha@yahoo.com से प्रकाशित किया।

सम्पादक : ब्र0 राजसिंह आर्य सह सम्पादक : विनय आर्य व्यवस्थापक : सुशील महाजन सह व्यवस्थापक : आर्य डॉ0 ओमप्रकाश भटनागर